



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 373 राँची, शुक्रवार,

25 जुलाई, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

9 जून, 2025

संख्या-5/आरोप-1-202/2017-30974 (HRMS)—श्री प्रवीण कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-483/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सिमडेगा सदर के विरुद्ध उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-673(ii)/स्था०, दिनांक 13.12.2017 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध उपायुक्त/भूमि सुधार उप समाहर्ता की अनुमति के बिना अनुसूचित जाति की जमीन का निबंधन करने, दाखिल खारिज वादों के निष्पादन में समरूपता नहीं रखने, पद का दुरुपयोग करने, दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-417, दिनांक 15.01.2018 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री सिंह के पत्र, दिनांक-08.03.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1799, दिनांक 12.03.2018 द्वारा उपायुक्त, सिमडेगा से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-563(ii)/स्था०, दिनांक 29.10.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, सिमडेगा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-20195(HRMS), दिनांक 17.04.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-348, दिनांक 28.04.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

विभागी जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री प्रवीण कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-483/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सिमडेगा सदर को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रवीण कुमार सिंह, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRAVIN KR. SINGH JHK/JAS/239	श्री प्रवीण कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-483/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सिमडेगा सदर को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
